मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

बी.ई.(अंशकालीन) पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
सत्र 2019—20

1	मध्यप्रदेश राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी. ई. (अंशकालीन) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2—7
2	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 8—13
3	उपलब्ध सीटें	पृष्ठ 14—14

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य के निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग संस्थानों में बी.ई. (अंशकालीन पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम सत्र 2019–20

2.1 सामान्य

ये नियम मध्य प्रदेश राज्य के निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग संस्थानों में बी.ई. (अंशकालीन पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगें।

2.2 परिभाषायें

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः –

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि);
3. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों को संचालित करती है;
4. ''सीबीएसई'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली
5. ''डी.टी.ई.'' से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
6. ''रा.गां.प्रौ.वि.'' से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
7. ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
8. ''सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश़ राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
9. ''मध्यप्रदेश (म.प्र.)'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
10. ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित(UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC);
11. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी;
12. ''मध्यप्रदेश सीटों'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;

2.3 लागू होनाः– ये नियम मध्य प्रदेश राज्य निजी क्षेत्र की संस्थानों में बी.ई. (अंशकालीन पाठ्यक्रम) प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

2.4 प्रवेश नियमः–

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.ई. संस्थाओं में उपलब्ध सीटेंः–

सीटों की उपलब्धता की जानकारी संलग्न **सारणी–1** के अनुसार होगी।

नोट :–

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https\\dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(ख–1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नही की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नही किया जायेगा।

2.4.2 <u>स्थानों का आवंटन/आरक्षण</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) के बी.ई. संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टिप्पणीः

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श **(Counselling)** के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित <u>प्रारुप–1</u> <u>(Annexer-1)</u> में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ. प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :–

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित **प्रारुप–2** (Annexer-2) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2016** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप–10** (Annexer-3) को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/ आ.प्र. /एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र. /एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.ई. (अंशकालीन) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:–

अभ्यर्थी द्वारा किसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा की परीक्षा संबंधित ब्रान्च (परिशिष्ट अनुसार) में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

3) कार्य अनुभव : –

सभी आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त संबंधित कार्य क्षेत्र में न्यूनतम् 02 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अनुभव केन्द्रीय/राज्य शासन के संस्थान, शासकीय उपक्रम, निजी क्षेत्र की संस्थाएँ (केन्द्र/मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत) में कार्य अनुभव हो। कार्यस्थल की दूरी प्रवेश के लिए इच्छित संस्थान से अधिकतम् 60 किमी की सीमा में हो।

4) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र **प्रारुप–6 (Annexer-4)** अनुसार अथवा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **प्रारुप–6(अ) (Annexer-5)** में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की प्रक्रिया

2.6.1 *ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया*

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

2.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर काउंसलिंग प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।

1. एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।
2. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

2.8. प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.8.1 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट https//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.8.2 **मूल प्रमाण–पत्र:** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। **उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।**

2.8.3 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.4 निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.9 प्रवेश का क्रम :–

2.9.1 **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति..

2.9.2 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

2.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आगामी दौर की काउंसलिंग आयोजित की जा सकती है।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:–

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07

अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

(3) **रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–**

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 **शिक्षण तथा अन्य फीस :–**

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.ई पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय–समय पर जारी किए है । प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

2.12 **नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरणः–**

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.13 **पाठ्यक्रमः–**

तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मापदंड, आवश्यकतायें एवं अन्य शर्तें एआईसीटीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार होगी।

2.14 **निर्वचनः–**

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने **(Interpretation)** संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.15 **अधिकारिता :–**

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट https//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....................................   प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...
पिता / पति का नाम..
निवासी ग्राम / नगर.................................. वि.खं....................................... तहसील.................................
जिला.. संभाग....................................... के.......................................जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..पर अंकित है।
अतः श्री / श्रीमती / कुमारी..
पिता / पति का नाम..अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**
(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम**
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी,वृहद / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2 (Annexer-2)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक...
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..
पुत्र / पुत्री श्री...
निवासी ग्राम / शहर.. तहसील.................................... जिला.............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक.............. पर अंकित है।

श्री.. और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला... संभाग................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380 / 2 / 22 / 93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26 / 93 / 1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती / कुमारी...
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये..है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....   **हस्ताक्षर**
(सील)   **प्रमाणीकरण अधिकारी**
का नाम

पदनाम

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

<u>प्रारुप–10</u> <u>(Annexer-3)</u>

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(सादे कागज पर)

मैं.. आत्मज श्री... आयु .... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राम .... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये.........................शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये....................... ....शब्दों में ....है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य है:–
   1......................2........................3...........................4............................5
   (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में...है।
7. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। **अथवा**
8. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व लगभग .... समय पूर्व एक आय प्रमाण –पत्र/शपथ–पत्र राशि...रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

   (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं................................आत्मज/पति श्री..............................आयु............................वर्ष, निवासी ....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान........................में किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप–6 (Annexer-4)

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील.................................. जिला..................................

प्र.क्र वर्ष.................................. दिनांक...........................

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहां आवेदक का पासपोट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.. पिता/पति..निवासी.. तहसील.. जिला... (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक...................................... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक............ ....दिनांक ....के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः–

....

....

....

टीपः– यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।

(आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
तहसील...
जिला..

***लागू न होने पर काट दें।**
यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेंगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र)

<u>प्रारूप–6(अ)</u> <u>(Annexer-5)</u>

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं... आत्मज/पति श्री................................. आयु लगभग .... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती .... एवं उम्र (लगभग).......................... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री–
   1. श्री/कु...आयु (लगभग).............................. वर्ष
   2. श्री/कु...आय (लगभग).............................वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ....मोहल्ला.................. ग्राम...................... तहसील...................... जिला......................में वर्ष .... मैं पैदा हुआ/हुई हूँ।
   2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....................शहर.........................तहसील............. ....जिला.........................में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।

      (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ–कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
   3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .... कार्यालय का नाम ....विभाग का नाम .... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
   4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित.............................नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में.........................पद पर.................................... ....कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

      (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

–2–

5. मैं केन्द्र शासन के .... विभाग में .... के पद पर ....कार्यालय........................ तहसील................................ जिला......................... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष .... बैंच) अधिकारी हूँ। .... पद पर .... कार्यालय/मंत्रालय.. में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक..................................पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।

(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.................) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण–पत्र संलग्ल करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं......................................आत्मज/पति श्री...............................आयु.................................. वर्ष निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा–पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान..................... .... में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा –पत्र में किया जाये)

TABLE -1			
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH			
TENTATIVE SEATS IN B.E (PART TIME) COURSE FOR THE SESSION 2019-20			
	PRIVATE INSTITUTIONS		
S.No.	**Name of the College/Institution**	**course**	**Intake**
1.	NRI Institute of Information Sc. & Tech., Bhopal [Part Time]	Electrical & Electronics Engineering	60
2.	NRI Institute of Information Sc. & Tech., Bhopal [Part Time]	Mechanical Engineering	60
Total			**120**

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE